न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(कैलाश चन्द्र शर्मा,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 22/2018
प्रविष्टि दिनांक 25.05.2018

1–श्रवणलाल पुत्र रामनिवास जाति ब्राहमण निवासी श्रीनगर तहसील टोडारायसिंह
2–महावीर पुत्र रामनिवास जाति ब्राहमण निवासी श्रीनगर तहसील टोडारायसिंह
3–शकंरलाल पुत्र रामनिवास जाति ब्राहमण निवासी श्रीनगर तहसील टोडारायसिंह
4–शकंरलाल पुत्र गोगा जाति धाकड निवासी श्रीनगर तहसील टोडारायसिंह

–प्रार्थीगण

बनाम

1–इंतेजाम अली पुत्र अब्दुल हकीम जाति मुसलमान देशवाली निवासी टोडारायसिंह
2–तहसीलदार टोडारायसिंह जिला टोंक
3–छीतर पुत्र लादू जाति धाकड निवासी श्रीनगर तहसील टोडारायसिंह
4–श्योकिशन पुत्र बागा जाति बैरवा निवासी श्रीनगर तहसील टोडारायसिंह
5–कैलाशचंद पुत्र ग्यारसीलाल जाति धाकड निवासी श्रीनगर तहसील टोडारायसिंह
6–रामकिशन पुत्र रामनारायण जाति धाकड निवासी श्रीनगर तहसील टोडारायसिंह
7–हंगामी बेवा रामनारायण जाति धाकड निवासी श्रीनगर तहसील टोडारायसिंह

–अप्रार्थीगण

आवेदन अ0 धारा 54 राज0ले0रे0 एक्ट बाबत मुन्तकिल किये जाने प्रार्थना पत्र आवेदन अ0 धारा 128 एल0आर0एक्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह प्रार्थना पत्र उनवानी इंतेजाम अली बनाम तहसीलदार टोडारायसिंह आदि प्रकरण संख्या 68/2018 एल0आर0एक्ट आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.05.2018

उपस्थिति : (1) श्री सीताराम विजय, अभिभाषक प्रार्थीगण
(2) श्री शुजाअत हुसैन, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1

दिनांक 04.02.2019

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के यहां इंतेजाम अली बनाम तहसीलदार टोडारायसिंह आदि प्रार्थना पत्र अ0धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत सीमाज्ञान करवाये जाने दिनाक 12.04.2018 से विचाराधीन है। प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की उम्मीद नही है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह से अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरण किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिपक्षीगण की गई। उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह से प्रार्थना पत्र मे अंकित बिन्दूओ पर टिप्पणी चाही गई। बहस अभिभाषकगण सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने दोराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि भूमि खसरा नम्बर 1380/1987 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम श्रीनगर घारेडा तहसील टोडारायसिंह मे स्थित है,जिस पर अप्रार्थी इंतेजाम अली का कब्जा काश्त नही है तथा उक्त भूमि प्रार्थी संख्या 1 ता. 3 के कब्जेकाश्त मे चली आ रही है उक्त भूमि बाबत प्रार्थी संख्या 1 ता. 3 की और से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के यहां एक वाद खातेदारी मे उद्घोषणा क रनाम लगवाने का विचाराधीन है तथा प्रकरण मे न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश भी हो रखा है। इसके बावजूद भी

भारसक्त जिला कलक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी संख्या 1 उक्त आराजी का सीमाज्ञान करवाकर जबरन भूमि पर कब्जा कर बेदखल करना चाहता है। अप्रार्थी संख्या 1 ऐलानियां कह रहा है कि वह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के पीठासीन अधिकारी से पत्थरगढी का आदेश शीघ्र लेकर राजस्व कर्मचारियो से भूमि का सीमाज्ञान करवाकर प्रार्थीगण को बेखदल करके रहेगा। प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की उम्मीद नही रही है। अतः उक्त वाद को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक या अन्य किसी सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरण किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने दोराने बहस कथन किया कि वाद को स्थानान्तरण करने का कोई ठोस कारण नही है। उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह न्यायालय मे इस वाद के अलावा भी अन्य वाद विचाराधीन है। इसी वाद को अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरण किया जाना उचित नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की छायाप्रति से जाहिर है कि उक्त वाद दिनाक 12.04.2018 से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह मे विचाराधीन है। अभिभाषक प्रार्थीगण का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की उम्मीद नही रही है,परन्तु प्रकरण को अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित करने का कोई ठोस कारण नही बताया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अति.जिला कलेक्टर, टोंक

Scanned by CamScanner